



शेयर बाज़ार वनियमन

प्रलिस के लयः

यर बाज़ार वनियमन, सर्वोच्च न्यायालय, सेबी, SCRA, फ़री-मार्केट इकॉनमी, BSE, NSE

मेन्स के लयः

शेयर बाज़ार वनियमन और धोखाधड़ी के खललफ सुरकषा

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कनलवशकों को [शेयर बाज़ार की असुथरलता](#) से बचाने हेतु [भारतीय प्रतभूतल और वनलमल बोर्ड](#) (Securities and Exchange Board of India- SEBI) तथल सरकार मौजूदल नयलमक ढाँचे कल नरलमण करेँ ।

शेयर बाज़ारः

परचलः

- शेयर बाज़ार सलरवजनकल रूप से कलरोबार करने वलली कंनयलं में इक्वटी शेयरों के वलपलर हेतु खरीदलरों और वकलरेतलओं को एक सलथ ललते हैं ।
- शेयर बाज़ार एक मुक्त बाज़ार अरुथव्यवसुथल के घटक हैं क्यौंकवल नवलशक वलपलर और पूंजी के आदलन-प्रदलन हेतु लोकतलंतरकल पहुँच को सकषम करते हैं ।
 - मुक्त-बलज़लर अरुथव्यवसुथल एक ऐसी आरुथकल प्रणलली है जसलमें वसुतुओं और सेवलओं की कीमतें सरकलरी वनलनलमन के हसुतकषेप के बनल आपूरततथल मलंग दवलरल नरलधलरतल की जलती हैं ।
- भलरत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं- [बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज](#) (Bombay Stock Exchange- BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange- NSE) ।
- SEBI भलरत में प्रतभूतल बलज़लर कल नयलमक है । वह कलनूनी ढाँचल नरलधलरतल करता है और बलज़लर संचललन में रुचल रलखने वलली सभल संसुथलओं को वनलनलमतल करता है ।
 - प्रतभूतल संवदल वनलनलमन अधनलनलम (Securities Contracts Regulation Act- SCRA) ने SEBI को भलरत में स्टॉक एक्सचेंजों और फरल कडोडटी एक्सचेंजों को मलन्यतल देने तथल वनलनलमतल करने कल अधकलर प्रदलन कथल है; यह कलरुय पहले केंद्र सरकलर दवलरल कथल जलतल थल ।

नयलमन के लयल कलनूनः

- भलरतीय प्रतभूतल और वनलमल बोर्ड अधनलनलम, 1992 (SEBI अधनलनलम):
 - यह अधनलनलम SEBI को नवलशकों के हतलं की रकषल करने और इसे वनलनलमतल करने के अलवलल पूंजी/प्रतभूतल बलज़लर के वकलस को प्रोत्सलहतल करने कल अधकलर देतल है ।
 - यह SEBI के कलरुयों और शकतलं कल नरलधलरण करता है और इसकी संरचनल तथल प्रबंधन सुनशलचतल करता है ।
- प्रतभूतल संवदल (वनलनलमन) अधनलनलम, 1956 (SCRA):
 - यह कलनून भलरत में प्रतभूतल अनुबंधों के नयलमन के लयल कलनूनी ढाँचल प्रदलन करता है ।
 - इसमें प्रतभूतलं की लसुटलल और ट्रेडलल, स्टॉक ब्रोकरस एवं सब-ब्रोकरस कल पंजीकरण तथल वनलनलमन एवं इनसलइडर ट्रेडलल पर रोक शलमलल है ।
- कंनली अधनलनलम, 2013:
 - यह कलनून भलरत में कंनलं के नलगलन, प्रबंधन और शलसन को नयलंतरतल करता है ।
 - यह कंनलं दवलरल जलरी कथल जाने वलले प्रतभूतलं और अनुय प्रतभूतलं के हसुतलंतरण के लयल नयलम भी नरलधलरतल करता है ।
- डपलॉज़टलरी अधनलनलम, 1996:
 - यह कलनून भलरत में डपलॉज़टलरी के नयलमन और प्ररुवेकषण कल प्रलवधलन करता है । यह इलेक्ट्रॉनकल रूप में धलरतल प्रतभूतलं के अभौतकलकरण तथल हसुतलंतरण के लयल प्रकुरललओं को नरलधलरतल करता है ।

• **इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमन, 2015:**

- ये नियम भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतबिंधित करते हैं। इस कार्य में शामिल लोगों के लिये आचार संहिता, खुलासे और उल्लंघन के लिये दंड निर्धारित करते हैं।

बाज़ार की अस्थिरता पर अंकुश लगाने में SEBI की भूमिका:

- SEBI बाज़ार की अस्थिरता को रोकने के लिये हस्तक्षेप नहीं करता है, अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिये एक्सचेंजों में दो सर्कट फिल्टर होते हैं- पहला ऊपरी या अपर सर्कट और दूसरा नचिला या लोअर सर्कट।
- लेकिन सेबी उन लोगों को नरिदेश जारी कर सकता है जो बाज़ार से जुड़े हैं और स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार एवं नपिटान (Settlement) को विनियमित करने की शक्ति रखते हैं।
- इन शक्तियों का उपयोग करते हुए SEBI स्टॉक एक्सचेंजों को पूरी तरह से या चुनदा रूप से व्यापार रोकने का नरिदेश दे सकता है।
- यह संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रतभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने, बाज़ार से धन जुटाने और बचौलियों या सूचीबद्ध कंपनियों से जुड़ने पर भी रोक लगा सकता है।

धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय:

- दो प्रमुख प्रकार की धोखाधड़ी- बाज़ार हेर-फेर तथा इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिये सेबी ने वर्ष 1995 में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का नषिध विनियम एवं वर्ष 1992 में इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों का नषिध जारी किया।
 - ये नियम अंदरूनी सूत्रों से प्राप्त जानकारी को धोखाधड़ी के रूप में परिभाषित करते हैं और इस तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों को प्रतबिंधित करता है, साथ ही गलत माध्यम से अर्जति लाभों पर दंड जैसे प्रावधान भी हैं।
 - इन नियमों का उल्लंघन विधिय अपराध है जिससे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है।
- SEBI ने शेयरों के पर्याप्त अधग्रहण और अधग्रहण विनियमों को अधसूचित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधग्रहण एवं प्रबंधन में परिवर्तन केवल सार्वजनिक शेयरधारकों को कंपनी से बाहर निकालने का अवसर देने के बाद ही किया जाए, यदवि चाहते हैं।
 - SEBI और स्टॉक एक्सचेंजों के आदेशों के खिलाफ तीन सदस्यीय प्रतभूत अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में अपील की जा सकती है।
 - SAT से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन पंजीकृत वदिशी पोर्टफोलियो निविशकों द्वारा उन वदिशी निविशकों को जारी किया जाता है जो खुद को सीधे पंजीकृत कयि बनिा भारतीय शेयर बाज़ार का हसिसा बनना चाहते हैं? (2019)

- (a) जमा प्रमाणपत्र
- (b) वाणजियकि पत्र
- (c) वचन पत्र
- (d) पार्टसिपिटरी नोट

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टि